



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026

पौष 12, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 264/79-वि-1-2026-1-क-24-2025

लखनऊ, 2 जनवरी, 2026

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025 जिससे चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 1 जनवरी, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2025

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2025 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम
संख्या 8 सन् 2002 की
धारा 24 का संशोधन

2-किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 की धारा 24 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

“(1क) उपर्युक्त उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त, कार्यकारी परिषद में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम आचार्यों में से, एक सदस्य और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों से संबंधित विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम आचार्यों से भी एक सदस्य सम्मिलित होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा कुलपति के परामर्श से, चक्रानुक्रम के आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।”

उद्देश्य और कारण

लखनऊ विश्वविद्यालय से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और गाँधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को अंतरित करके उक्त चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना और उससे सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था करने के लिए किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2002), अधिनियमित किया गया है।

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में, आरक्षित श्रेणियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा अनुश्रवण हेतु कार्य परिषद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 24 में संशोधन किए जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 264 (2)/LXXIX-V-1-2026-1-ka-24-2025

Dated Lucknow, January 2, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the King George Chikitsa Vishwavidyalay, Uttar Pradesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 1, 2026. The Chikitsa Shiksha Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH (AMENDMENT) ACT, 2025 (U.P. Act no. 2 of 2026)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the King George's Medical University, Uttar Pradesh Act, 2002.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows :-

Short title

1. This Act may be called the King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2025.

2. In Section 24 of the King George's Medical University, Uttar Pradesh Act, 2002, *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

Amendment
of Section 24 of
U.P. Act no. 8 of
2002

"(1A) In addition to the members specified in the above sub-section (1), the Executive Council shall also include one member from amongst the senior most Professors of the University belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and one member from amongst the senior most Professors of the University belonging to other backward classes of citizen, to be nominated by the State Government, on rotation basis, in consultation with the Vice-Chancellor."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASON

The King George's Medical University, Uttar Pradesh Act, 2002 (U.P. Act no. 8 of 2002) has been enacted to provide for the establishment of a Medical University by transfer of King George's Medical College and the Gandhi Memorial and Associated Hospitals from the University of Lucknow to the said Medical University and for matters connected therewith.

To ensure the representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the Executive Council to protect and monitor the constitutional rights of reserved categories in King George's Medical University, Uttar Pradesh, it has been decided to amend Section 24 of the aforesaid Act.

The King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Bill, 2025 is introduced accordingly.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.